रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228] नई दिल्ली, सोमवार, मई 3, 2010/वैशाख 13, 1932

No. 228] NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 2010/VAISAKHA 13, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2010

सा.का.नि. 375(अ).— राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--

"सं0 आ0 262"

संविधान (राजस्व वितरण) सं0 11 आदेश, 2010

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 270 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करती हैं, अर्थात् :--

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व वितरण) सं0 11 आदेश, 2010 है ।

2. साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) 1 अप्रैल, 2010 को और उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2015 से पूर्व समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अनुच्छेद 270 के खंड (1) के अधीन निर्दिष्ट, सेवा कर से भिन्न, करों और शुल्कों

के शुद्ध आगमों की प्रतिशतता, जो उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित की जानी है, बत्तीस प्रतिशत होगी, जो निम्नानुसार राज्यों को वितरित की जाएगी :--

सारणी

राज्य	प्रतिशतता
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	6.937
अरूणाचल प्रदेश	0.328
असम	3.628
बिहार	10.917
छत्तीसगढ़	2.470
गोवा	0.266
गुजरात	3.041
हरियाणा	1.048
हिमाचल प्रदेश	0.781
जम्मू-कश्मीर	1.551
झारखंड	2.802
कर्नाटक	4.328
केरल	2.341
मध्य प्रदेश	7.120
महाराष्ट्र	5.199
मणिपुर	0.451
मेघालय	0.408
मिजोरम	0.269
नागालैंड	0.314
उड़ीसा	4.779
पंजाब	1.389
राजस्थान	5.853
सिक्किम	0.239
तमिलनाडु	4.969
त्रिपुरा	0.511
उत्तर प्रदेश	19.677
उत्तराखंड	1.120
पश्चिमी बंगाल	7.264;

(2) 1 अप्रैल, 2010 को और उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किन्तु 1 अप्रैल, 2015 से पूर्व समाप्त होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, जो अनुच्छेद 270 के खंड (1) के अधीन निर्दिष्ट कर है, सेवा कर के शुद्ध आगमों का बत्तीस प्रतिशत, जो उस अनुच्छेद के खंड (2) के अधीन राज्यों को समनुदेशित किया जाना है, निम्नानुसार राज्यों को वितरित किया जाएगा :--

सारणी

राज्य	प्रतिशतता
(1)	(2)
आन्ध्र प्रदेश	7.047
अरुणाचल प्रदेश	0.332
असम	3.685
बिहार	11.089
छत्तीसगढ़	2.509
गोवा	0.270
गुजरात	3.089
हरियाणा	1.064
हिमाचल प्रदेश	0.793
झारखंड	2.846
कर्नाटक	4.397
केरल	2.378
मध्य प्रदेश	7.232
महाराष्ट्र	5.281
मणिपुर	0.458
मेघालय	0.415
मिजोरम	0.273
नागालैंड	0.318
उड़ीसा	4.855
पंजाब	1.411
राजस्थान	5.945
सिक्किम	0.243
तमिलनाडु	5.047
त्रिपुरा	0.519
उत्तर प्रदेश	19.987
उत्तराखंड	1.138
पश्चिमी बंगाल	7.379:

परंतु जहां अनुच्छेद 270 के खंड (1) के अधीन किसी वर्ष में सेवा कर जम्मू-कश्मीर राज्य में उद्गृहणीय हो जाता है प्रत्येक राज्य को जिसमें जम्मू-कश्मीर सम्मिलित हैं, वहां पैरा 3 के उपपैरा (1) की सारणी के स्तंभ (2) के सामने यथाविनिर्दिष्ट अंश दिया जाएगा ।

4. यदि 2010-2015 की अवधि के दौरान किसी वर्ष में, संघ के अधीन कोई कर किसी राज्य में उदगृहणीय नही है तो उस कर में, उस राज्य का अंश शून्य होगा और संपूर्ण आगम को शेष राज्यों को अंशों को आनुपातिक रूप में समायोजित करके उनमें वितरित किया जाएगा ।

5. संविधान (राजस्व वितरण) संख्यांक 5 आदेश, 2005, 1 अप्रैल, 2010 से ही निरसित हो जाएगा ।

6 किसी राज्य को उसके हक से अधिक संदत्त कोई राशि या राशियां उसी या किसी पश्चातवर्ती वर्ष में वसूलनीय होंगी ।

प्रतिभा देवीसिंह पाटिल, राष्ट्रपति ।

[फा. सं. 19(11)/2010-वि. I]
वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2010

G.S.R. 375(E).— The following Order made by the President is published for general information:-

"C.O.262"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 11 ORDER, 2010

In exercise of the powers conferred by article 270 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Thirteenth Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 11 Order, 2010.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (*1*) The percentage of the net proceeds of taxes and duties referred to in clause (1) of article 270, other than the service tax, which are to be assigned to the States under clause (2) of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2010 but

ending before the 1st day of April, 2015, shall be thirty-two per cent., which shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	6.937
Arunachal Pradesh	0.328
Assam	3.628
Bihar	10.917
Chhattisgarh	2.470
Goa	0.266
Gujarat	3.041
Haryana	1.048
Himachal Pradesh	0.781
Jammu and Kashmir	1.551
Jharkhand	2.802
Karnataka	4.328
Kerala	2.341
Madhya Pradesh	7.120
Maharashtra	5.199
Manipur	0.451
Meghalaya	0.408
Mizoram	0.269
Nagaland	0.314
Orissa	4.779
Punjab	1.389
Rajasthan	5.853
Sikkim	0.239
Tamil Nadu	4.969
Tripura	0.511
Uttar Pradesh	19.677
Uttarakhand	1.120
West Bengal	7.264.

(2) The thirty-two per cent. of the net proceeds of the service tax, being the tax referred to in clause (1) of article 270, which are to be assigned to the States under clause (2)

of that article, in each financial year commencing on and after the 1st day of April, 2010 but ending before the 1st day of April, 2015, shall be distributed among the States as follows:—

TABLE

State	Percentage
(1)	(2)
Andhra Pradesh	7.047
Arunachal Pradesh	0.332
Assam	3.685
Bihar	11.089
Chhattisgarh	2.509
Goa	0.270
Gujarat	3.089
Haryana	1.064
Himachal Pradesh	0.793
Jharkhand	2.846
Karnataka	4.397
Kerala	2.378
Madhya Pradesh	7.232
Maharashtra	5.281
Manipur	0.458
Meghalaya	0.415
Mizoram	0.273
Nagaland	0.318
Orissa	4.855
Punjab	1.411
Rajasthan	5.945
Sikkim	0.243
Tamil Nadu	5.047
Tripura	0.519
Uttar Pradesh	19.987
Uttarakhand	1.138
West Bengal	7.379:

Provided that where in any year the service tax under clause (1) of article 270 becomes leviable in the State of Jammu and Kashmir, each State including the Jammu and Kashmir shall be given a share as specified against it in column (2) of the Table to sub-paragraph (1) of paragraph 3.

4. If in any year during the period 2010-2015, a tax under Union is not leviable in a State, the share of that State in that tax shall be put to zero and the entire proceeds shall be distributed among the remaining States by proportionately adjusting their shares.

5. The Constitution (Distribution of Revenues) No. 5 Order, 2005, shall, as from the 1st day of April, 2010, stand repealed.

6. Any sum or sums paid to a State in excess of its entitlement shall be recoverable in the same or a subsequent year.

PRATIBHA DEVISINGH PATIL, President.

[F. No. 19(11)/2010-Leg. I]

V. K. BHASIN, Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.